Banda Police

-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 07.03.2025

❖ **आपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2023 में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र नाबालिग से कुकर्म के आरोपी को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई 20 वर्ष के कठोर कारावास व 16 हजार रुपये जुर्मानें की सजा ।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"आपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2023 में थाना कोतवाली देहात क्षेत्र एक गांव मे नाबालिग से कुकर्म के अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा सजा दिलाई गई। गौरतलब हो कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्रन्तर्गत एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने दिनांक 25.04.2023 को थाना कोतवाली देहात पर सूचना दी कि दिनांक 24.04.2023 को अभियुक्त अभिषेक अवस्थी पुत्र लल्लन नि0 जमालपुर थाना कोतवाली देहात ने उसके नाबालिग भतीजे जो दूकान पर धागा लाने जा रहा था के साथ सूनसान पर कुमर्क किया। इस संबंध में थाना **कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 105/2023 धारा 377/323/504 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट** पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना **उ0नि0 श्री नरेश कुमार प्रजापति** द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक **श्री रामसुफल सिंह गौर व श्री वीरेन्द्र कुमार** द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर **आरक्षी दीपक कुमार** तथा पैरोकार **आरक्षी संदीर कुमार** के अथक प्रयासों से अभियुक्त को **मा0 न्यायालय स्पे0 पॉक्सो एक्ट बांदा द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास व 16 हजार रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. अभिषेक अवस्थी पुत्र लल्लन नि0 जमालपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा

लोक अभियोजक
श्री रामसुफल सिंह

लोक अभियोजक
श्री वीरेन्द्र कुमार

विवेचक
उ0नि0 श्री नरेश प्रजापति

कोर्ट मोहर्रिर
आ0 दीपक कुमार

पैरोकार
आ0 संदीप कुमार